–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 32/2022

उनवान

पन्ना पुत्र बालू जाति रावत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू रा0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनाँक :– 13.2.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया की निम्न आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2593	0.38	2702	0.38
2597	0.42	2703	0.42
2598	0.70	2704	0.70
2605	0.37	2733	0.40
2812	0.60	2735	0.60

आराजी मुतनाजा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से पन्ना पुत्र बालू के स्थान पर पन्ना पुत्र कालू राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया है। जबकि वादी का सही नाम पन्ना पुत्र बालू है। अतः वादी का नाम दुरूसत किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख में वादी का नाम पन्ना पुत्र कालू है जबकि वंर्किग जमाबंदी में पन्ना पुत्र बालू अंकित है। प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी नाम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है ?

–– हाँ

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आधार कार्ड पेश किया। साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:34:38 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम पन्ना पुत्र कालू अंकित है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड व वंर्किग जमाबंदी में उसका नाम पन्ना पुत्र बालू अंकित है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज व वंर्किग जमाबंदी में पन्ना पुत्र बालू में कालू सिंह ही अंकित है। उक्त नाम दुरूस्त करने से किसी के भी हित प्रभावित नही होते है। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर स्वयं का नाम पन्ना पुत्र कालू के स्थान पर पन्ना पुत्र बालू अंकित करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के खसरा नम्बर 2702/0.38, 2703/0.42, 2704/0.70, 2714/0.67, 2733/0.40 व 2735/0.60 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद वादी का नाम पन्ना पुत्र कालू के स्थान पर पन्ना पुत्र बालू अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:34:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पन्ना बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 32/2022
पेश करने की दिनांक – 22.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बूबानिया के खसरा नम्बर 2702/0.38, 2703/0.42, 2704/0.70, 2714/0.67, 2733/0.40 व 2735/0.60 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद वादी का नाम पन्ना पुत्र कालू के स्थान पर पन्ना पुत्र बालू अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 2 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद